पत्र सं0 : आयुष निदे0--(बजट)--04 / 2023 / स्वा0 -859(आयुष) दिनांक-- 19/11/2025

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, राँची।

विषय-- **वित्तीय वर्ष 2025--26 में केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तगर्त चालू योजना State Annual Action Plan 2025--26 के अधीन स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कुल 1,02,45,18,800/--(एक अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार आठ सौ) रू0 मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025--26 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तगर्त राष्ट्रीय आयुष मिशन, चालू योजना के अधीन State Annual Action Plan 2025--26 पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय के दिनांक 21.07.2025 को Appraisal Committee की बैठक द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद (60 प्रतिशत) में 61,47,11,280/--(एकसठ करोड़ सैंतालीस लाख ग्यारह हजार दो सौ अस्सी) रू0 तथा राज्यांश मद (40 प्रतिशत) में 40,98,07,520/--(चालीस करोड़ अन्ठान्बे लाख सात हजार पाँच सौ बीस) रू0 कुल **1,02,45,18,800/--(एक अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार आठ सौ)** रू0 मात्र की राशि निम्नवत स्वीकृत की जाती है--

क्र0		बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	केन्द्रांश	केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ--200--अन्य पद्धतियाँ--27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान--01--आयुष पर राष्ट्रीय मिशन--एस0ए0ए0पी0--06--अनुदान--79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20 सी 22100220027010679)	36,88,26,768/-
2		केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ--789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना--अन्य पद्धतियाँ--27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान--01--आयुष पर राष्ट्रीय मिशन-- एस0ए0ए0पी0--06--अनुदान--79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20 सी 22100278927010679)	6,14,71,128/-
3		केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ--अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ --796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना --27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान--01--आयुष पर राष्ट्रीय मिशन--एस0ए0ए0पी0--06--अनुदान--79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20 सी 22100279627010679)	18,44,13,384/-
		योग (केन्द्रांश मद)	61,47,11,280/-

(शिवजी वर्मा)
अवर सचिव।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव।

(विद्यानन्द शर्मा 'पंकज')
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

8

क्र0		बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	राज्यांश	केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ--अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ --200--अन्य पद्धतियाँ--27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान -- 01 -- आयुष पर राष्ट्रीय मिशन--एस0ए0ए0पी0--06--अनुदान--79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20 एस 22100220027010679)	24,58,84,512/-
2		केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ--अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ --789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना--27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान--01--आयुष पर राष्ट्रीय मिशन --एस0ए0ए0पी0--06--अनुदान--79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20 एस 22100278927010679)	4,09,80,752/-
3		केन्द्र प्रायोजित स्कीम--बजट मुख्यशीर्ष--2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ--अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ --796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना--27--राष्ट्रीय आयुष मिशन को सहायता अनुदान--01--आयुष पर राष्ट्रीय मिशन --एस0ए0 ए0पी0 --06 --अनुदान --79--सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड --20 एस 22100279627010679)	12,29,42,256/-
		योग (राज्यांश मद)	**40,98,07,520/-**

कुल स्वीकृत राशि 1,02,45,18,800/--(एक अरब दो करोड़ पैंतालीस लाख अठारह हजार आठ सौ) रू0 मात्र।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0--1269 दिनांक--21.09.2023 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

4. इस स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025--26 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन State Annual Action Plan 2025--26 पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत RoP पत्रांक--S-16012/02/2025-NAM दिनांक 11.08.2025 के आलोक में किया जाएगा।

5. आवंटित की जाने वाले राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार, राँची से की जायेगी।

6. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप--निदेशक यूनानी, आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर राज्य आयुष सोसाईटी, झारखण्ड, राँची के राष्ट्रीयकृत बैंक के SNA/SNA SPARSH खाता में जमा करेंगे।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति सक्षम स्तर/प्राधिकार से प्राप्त है साथ ही, आन्तरिक अंकेक्षण एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

859(आयुष) 19/11/2025

(शिवजी वर्मा) अवर सचिव। | (ध्रुव प्रसाद) उप सचिव। | (चिदानंद शर्मा 'पंकज') अपर सचिव। | (अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

8

9. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा विहित शर्त्तों/निदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. इस राशि के व्यय का वहन उपर्युक्त तालिका में अंकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत बजट में उपबंधित राशि से किया जायेगा। केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की राशि का संधारण अलग–अलग किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/निदेशक आयुष, झारखण्ड का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय भारत सरकार, महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को समर्पित करेंगे।

12. इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एव आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक –आयुष निदे0–(बजट)–04/2023–859(आयुष) राँची/दिनांक–19/11/2025

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रामण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त, राँची/अभियान निदेशक, झारखण्ड स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक, आयुष, झारखण्ड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आयुष निदेशालय, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवजी वर्मा) अवर सचिव।	(ध्रुव प्रसाद) उप सचिव।	(विद्यानंद शर्मा 'पंकज') अपर सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।